संख्या-13/2015/सी0एम0-36/49-3-2015-136/2013

प्रेषक,

शैलेष कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 27मार्च, 2015

विषय: उ0प्र0विधायन एवं शीतगृह संघ लि0 लखनऊ द्वारा किये जा रहे धोखाधड़ी एवं फर्जीफिकेशन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं कठोर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या--6/2015/420/49-3-2015-136/2013, दिनांक 09मार्च, 2015 तथा शासनादेश संख्या--10/2015/498/49-3-2015-136/2013, दिनांक 23 मार्च,2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त संदर्भित पत्रों में वर्णित संस्था के बारे में और जानकारी प्राप्त की गयी तथा यह ज्ञात हुआ कि यह संस्था एक मल्टीस्टेट सहकारी संस्था है एवं फर्जी नहीं है। अत: उपरोक्त संदर्भित दोनो पत्रों को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय,

शैलेष कृष्ण
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in